



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2017/फाल्गुन 2, 1938

No. 499]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2017/PHALGUNA 2, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2017

का.आ.562(अ).— यतः, मै. वाटिका जयपुर एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड, ने राजस्थान राज्य के जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे, जयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2123(अ) दिनांक 12 दिसंबर, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 20.1366 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. वाटिका जयपुर एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 20.1366 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त क्षेत्र को अनधिसूचित करने के लिए दिनांक 16 सितंबर, 2013 को स्वीकृति पत्र प्रदान कर दिया है;

और यतः, राजस्थान सरकार ने उनके दिनांक 17 अगस्त, 2016 के पत्र सं. पी.4(16)/इन्डस्ट्रीज/1/2016 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

अतः इसलिए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्पादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है;

[फा. स. एफ.2/46/2006-एस.ई.जेड.]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

S.O. 562(E).—WHEREAS, M/s. Vatika Jaipur SEZ Developers Ltd had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology/ information technology enabled services at Jaipur-Ajmer Expressway, Jaipur in the State of Rajasthan ;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 20.1366 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2123 (E) dated 12th December, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. Vatika Jaipur SEZ Developers Ltd has proposed for full de-notification of 20.1366 hectares area at the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for de-notification of above area on 16th September, 2013;

AND, WHEREAS, the State Government of Rajasthan has given its “No Objection” to the proposal vide their letter No. P.4(16)/Industries/1/2016 , dated 17th August, 2016;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone has recommended the proposal for full de-notification of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.2/46/2006-SEZ]
ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.